372/DILRMP

E-Mail

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/F-126/2017/ 687 दिनांकः-23-04-18

जिला कलक्टर,
दौसा

विषय :– साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दी की नकल जारी करने हेतु लाईसेंस बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 2211 दिनांक 03.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि जिले की तहसील बसवा को डिजीटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाईजेशन कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.03.2018 को अधिसूचित किया जा चुका है। अतः उक्त तहसील बसवा हेतु साईबर कैफे के लाईसेन्स नवीनीकरण एवं नवीन लाइसेन्स जारी किए जाने है अथवा नहीं किये जाने है, इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में मण्डल द्वारा जारी पत्रांक 14903–51 दिनांक 11.10.2012 से पूर्व में ही ऑनलाइन तहसीलों हेतु जिनमें डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी जारी की जानी है उनके संबंध में निर्देशित किया गया है कि अपनाखाता केन्द्र, सीएससी/ई–मित्र के माध्यम से ही जमाबन्दी की प्रतिलिपि जारी होगी तथा साइबर कैफे को लाइसेन्स जारी नहीं किए जाऐगें। मण्डल से जारी पत्रांक 6315–45 दिनांक 01.05.2013 द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जो तहसीले ऑनलाईन नहीं हुई है उन तहसीलों हेतु जब तक ऑनलाइन नहीं की जाती तब तक साइबर कैफे धारकों को लाइसेन्स जारी व नवीनीकरण किए जा सकते है।

मण्डल द्वारा पूर्व प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त (दौसा को छोडकर) को ।
3. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

-sd-

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/भू.अ./एल.आर.सी./एफ–116/14903-51 दिनांक 11.10.12

– : परिपत्र : –

राजस्थान के समस्त ग्रामों के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के रूप में कम्प्यूटर पर उपलब्ध है, जिसकी प्रतिलिपि जारी करने हेतु निर्धारित क्षेत्र में कार्यरत साइबर कैफे को जिला कलक्टर कार्यालय से लाइसेन्स जारी कर अधिकृत किया जाता रहा है । अधिकृत साइबर कैफे से जो प्रतिलिपि जारी की जाती है वह प्रमाणित व वैध नहीं होती है । यदि किसी व्यक्ति को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति की आवश्यक होती है तो उसे साइबर कैफे द्वारा जारी प्रतिलिपि को संबंधित राजस्व पटवारी से निर्धारित शुल्क अदा कर प्रमाणित करवाना पड़ता है । इस प्रकार राजस्व अभिलेख की प्रमाणित व वैध प्रतिलिपि के लिए काश्तकार को पूर्णतः पटवारी पर ही निर्भर रहना पड़ता है ।

काश्तकारों को राज्य के किसी भी कोने में रहते हुए राजस्व अभिलेख की प्रमाणित व वैध प्रतिलिपि प्राप्त हो सके इस प्रयोजन से जिस प्रकार ई–गवर्नेन्स प्लॉन के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाओं को नागरिक सेवा केन्द्रों पर डिजीटल हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलबध करवाये गए हैं उसी प्रकार डिजीटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्णतः वैध व प्रमाणित मानी जाएगी ।

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र Information Technology Act. 2000 अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 3 एवं संशोधित आई टी. एक्ट 2009 के बिन्दु संख्या 3 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों में अब डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता प्रदान कर दी गई है । इसी परिपेक्ष्य में पायलट प्रोजक्ट में टोंक जिले की निवाई तहसील में राज्य सरकार की सहमति के बाद डिजीटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी । इसी पद्धति पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दु संख्या 208 के तहत प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले का एक तहसील को ऑन–लाइन किया जा कर आदिनांक डिजीटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी जारी की जाएगी। इस प्रकार कम्प्यूटर द्वारा जारी प्रति को अलग से हल्का पटवारी अथवा अन्य किसी भी राजस्व अधिकारी से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

डिजीटल हस्ताक्षरित जमबन्दी तहसील एवं जिला कलक्टर, कार्यालय के अपना खाता केन्द्र, सीएससी/ई–मित्र के माध्यम से ही जारी होगी। जिन तहसीलों में डिजीटल हस्ताक्षर युक्त जमाबन्दी जारी की जाएगी उन तहसीलों में साइबर कैफे धारको को लाइसेन्स जारी नही किए जाएंगे व लाइसेन्स नवीनीकरण भी नही किए जाएंगे।

लगातार –– 2

राज्य की जिन तहसीलों में सीएससी/ई–मित्र की संख्या पर्याप्त नही है उन स्थानों पर आमजन को अपने निकटतम स्थान पर सीएससी/ई–मित्र से प्रतिलिपि प्राप्त हो सके इस बाबत संबंधित जिला कलक्टर, एवं सूचना प्रौधोगिकी व संचार विभाग पर्याप्त संख्या में सीएससी/ई–मित्र केन्द्र स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में यदि पूर्व में साइबर कैफे लाइसेन्स धारक यदि सीएससी/ई–मित्र स्थापित करना चाहे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जिला स्तर पर LSP (Local Service Provider) को सीएससी/ई–मित्र हेतु एनआईसी द्वारा अपना खाता सर्वर पर Login ID व Pass Word निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

तहसील एवं जिला कलक्टर, कार्यालय के अपना खाता केन्द्र, द्वारा जारी होने वाली प्रतिलिपि पूर्ववत भू–अभिलेख (भू–राजस्व) नियम 1957 के प्रावधान के अनुसार ही जारी होगी तथा सीएससी/ई–मित्र के माध्यम जारी होने वाली प्रतिलिपि हेतु **शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की** जाती है :– 1. **सी.एस. सी. /ई–मित्र का सेवा शुल्क राशि 20/– रूपये**

2. **प्रतिलिपि शुल्क शुल्क 10/– रूपये प्रति पृष्ठ ।**

(प्रमुख शासन सचिव, राजस्व महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 14.02.2012 में लिए निर्णय के अनुसार) होगा।

प्रतिलिपि शुल्क 10/– प्रति पृष्ठ की दर से जिला ई–मित्र सोसाइटी द्वारा प्राप्त राशि प्रति माह 5 तारीख तक चालान द्वारा **बजट मद 0029 –भूराजस्व, 800–अन्य प्राप्तियां, (12)–** अन्य मद में चालान द्वारा जमा करवाएंगे।

जिला ई–मित्र सोसाइटी प्रति माह की 5 तारीख तक गत माह की राजकीय वसूली को जमा करवाने के साथ ही जमा राशि का मिलान TRA/DRA जो भी पदस्थापित हो से करवाएंगे एवं ई–मित्र/ सीएससी द्वारा वसूल की गई राशि की जांच उक्तानुसार करवाए बिना कोई भी नकल जारी नहीं हो सकेगी जिससे राजकीय राशि के गबन की सम्भावना नही हो।

आमजन की जानकारी हेतु जमाबन्दी इन्टरनेट पर "अपना खाता" वेबसाइट पर भी किसी भी स्थान से देखी जा सकती है जिसकी प्रति भी प्राप्त की जा सकती है किन्तु उक्त प्रति डिजीटल हस्ताक्षरित नही होगी तथा न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य नही होगी। उक्त सीएससी/ई–मित्र केन्द्रों का निरीक्षण संबंधित राजस्व अधिकारी व एनआईसी द्वारा प्रतिमाह किया जा सकेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि डेजीटल हस्ताक्षरयुक्त कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी तहसीलवार चरणबद्ध तरीके से ऑन – लाइन की जाएगी। अन्य तहसीलों में सभी नियम/प्रक्रियाए पूर्वानुसार रहेंगे।

भवदीय,

(हेमन्त शेष)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

लगातार –– 3

अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./एफ–116/6315–45

1-5-13

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः–साईबर कैफे धारकों को लाइसेन्स जारी करने व नवीनीकरण करने के संबंध में।

प्रसंग :–मण्डल का पत्रांक 4769–800 दिनांक 21.03.2013

महोदय,

प्रासंगिक विषयान्तर्गत साइबर कैफे माध्यम से जमाबन्दी की प्रतिलिपि जारी करने हेतु लाइसेन्स जारी करने व नवीनीकरण के संबंध में मण्डल द्वारा सन्दर्भित पत्र से निर्देशित किया गया था कि वर्ष 2013–14 से साइबर कैफे धारकों को लाइसेन्स जारी व नवीनीकरण नही किए जाने है।

इस संबंध में साइबर कैफे धारकों द्वारा लाइसेन्स जारी करने हेतु निरन्तर की जाने वाली मांग को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि जो तहसीले ऑनलाइन नही हुई है उन तहसीलों हेतु जब तक ऑनलाइन नही की जाती है तब तक साइबर कैफे धारकों मण्डल द्वारा जारी पूर्व आदेशो के अनुसार लाइसेन्स जारी व नवीनीकरण किए जाने है।

भवदीय,

अति–निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 1-5-13

क्रमांकः सम/6346–55
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान,।
2. शासन सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।
3. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मु0मं0–विशेषाधिकारी(टी0) मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान को पत्रांक /प–2 राज.बो./जोध./13/25026 दिनांक 08.03.2013 के क्रम में सूचनार्थ।
5. उप–शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर को पत्रांक प.7 (71) राज/2/2011/पार्ट दिनांक 05.04.2013 के क्रम में सूचनार्थ।
6. उप–शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान जयपुर को पत्रांक प.13 (10) राज–1/2011/पार्ट दिनांक 15.04.2013 के क्रम में सूचनार्थ।
7. श्री जयन्त बोराणा, निवासी–तहसील कार्यालय के पास, भोपालगढ़ उपखण्ड भोपालगढ़ जिला जोधपुर को उनके आवेदन के क्रम में सूचनार्थ

उप निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर